

न्यायालय-प्रसन्न सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला नरसिंहपुर (म.प्र.)

क्रमांक— ६१ /सी.जे.एम./2024

नरसिंहपुर, दिनांक—18.04.2024

:: आपराधिक कार्य विभाजन आदेश :: (अंतर्गत धारा 14 एवं 15 द.प्र.सं. 1973)

प्रशासनिक दृष्टि से, मैं प्रसन्न सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 15(2) के अंतर्गत प्रदत्त शवित्रियों का प्रयोग करते हुए नरसिंहपुर जिले में पदरथ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटों के मध्य आपराधिक प्रकरणों के संबंध में उचित रूप से कार्य वितरण/संपादन हेतु पूर्व में जारी समस्त आपराधिक कार्य विभाजन आदेशों एवं समय समय पर किए गए संसोधनों को अतिष्ठित करते हुए निम्नांकित कार्य विभाजन आदेश जारी करता हूँ जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय नरसिंहपुर के अनुमोदन के उपरांत दिनांक 20.04.2024 से प्रभावी होगा।

क्र 0	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	अधिकार क्षेत्र	कार्य विभाजन
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री प्रसन्न सिंह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नरसिंहपुर (म.प्र.)	A <u>आरक्षी केन्द्र कोतवाली स्टेशनगंज एवं उससे संबंधित पुलिस चौकी।</u> B <u>आरक्षी केन्द्र यातायात नरसिंहपुर</u>	<ol style="list-style-type: none"> कॉलम नंबर 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र कोतवाली, स्टेशनगंज, यातायात से प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण व विविध कार्यवाहियां (परिवाद प्रकरण एवं ऐसे अन्य प्रकरण व कार्यवाहियां, जिन्हें किसी अन्य मजिस्ट्रेट को इस कार्य विभाजन पत्रक द्वारा आवंटित किया गया है, को छोड़कर) इस न्यायालय द्वारा पूर्व में विनिश्चय प्रकरण से संबंधित विषयवस्तु जो भी हो। उक्त थाना से निर्मित होने वाले आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण। विशेष रूप से गठित न्यायालयों द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न समस्त आपराधिक प्रकरण। राज्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरण। उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित प्रकरण। उक्त थाना क्षेत्र से उत्पन्न माता पिता वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण कल्याण अधिनियम से संबंधित प्रकरण।

			<p>8. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित समर्त आपराधिक प्रकरणों का विचारण।</p> <p>9. आबकारी बृत्त नरसिंहपुर एवं करेली द्वारा प्रस्तुत आबकारी अधिनियम से संबंधित प्रकरण।</p> <p>10. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी नरसिंहपुर द्वारा प्रस्तुत अभियोग पत्र</p> <p>11. तेजाब फेंककर क्षति या उपहति करने विषय आपराधिक प्रकरण।</p> <p>12. श्रम निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र</p> <p>13. जिले के समर्त थानों से संबंधित ई.आर खारिजी।</p> <p>14. पर्यावरण से संबंधित मामले।</p> <p>15. साइवर काईम से संबंधित मामले।</p> <p>16. नापतौल विभाग द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र।</p> <p>17. रेल्वे अधिनियम 1980 के अंतर्गत विशेष न्यायालय (रेल्वे न्यायालय) के अतिरिक्त प्रकरण।</p> <p>18. सिनेमेट्रोग्राफी एकट।</p> <p>19. एम.व्ही एकट के अंतर्गत ऐसे प्रकरण जिनमें अर्थदण्ड राशि जे.एम.एफ.सी न्यायालय की अधिकारिता से अधिक हो।</p> <p>20. केवल टेलीविजन नेटवर्क एकट 1989।</p> <p>21. छावनी अधिनियम।</p> <p>22. ड्रग्स एण्ड कास्मेटिक एकट से संबंधित मामले</p> <p>23. मानसिक स्वारथ्य अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाहिया।</p> <p>24. म0प्र0 नगरपालिका अधिनियम से उद्भूत आपराधिक प्रकरण।</p> <p>25. अन्य ऐसे प्रकरण जिनका उल्लेख आपराधिक कार्य विभाजन आदेश में नहीं है।</p> <p>26. दुकान एवं संरथान अधिनियम से संबंधित समर्त प्रकरण।</p>
		<p>D <u>सम्पूर्ण तहसील</u> <u>नरसिंहपुर</u></p>	<p>21. छावनी अधिनियम।</p> <p>22. ड्रग्स एण्ड कास्मेटिक एकट से संबंधित मामले</p> <p>23. मानसिक स्वारथ्य अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाहिया।</p> <p>24. म0प्र0 नगरपालिका अधिनियम से उद्भूत आपराधिक प्रकरण।</p> <p>25. अन्य ऐसे प्रकरण जिनका उल्लेख आपराधिक कार्य विभाजन आदेश में नहीं है।</p> <p>26. दुकान एवं संरथान अधिनियम से संबंधित समर्त प्रकरण।</p>
2	श्री भारत सिंह रघुवंशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नरसिंहपुर (म0प्र0)	<p>A <u>आरक्षी केन्द्र</u> <u>सुआतला</u> (आरक्षी केन्द्र सुआतला से उत्पन्न ऐसे आपराधिक प्रकरण जो</p>	<p>1. कॉलम नंबर 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र सुआतला, अ.जा.क. से प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण व विविध कार्यवाहियां (ऐसे अन्य प्रकरण व कार्यवाहियों, जिन्हें किसी अन्य मजिस्ट्रेट को इस कार्य विभाजन पत्रक द्वारा आवंटित किया गया है, को छोड़कर)</p>

		<p>गाडरवारा न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं।)</p> <p>B <u>आरक्षी केन्द्र</u> <u>अ.जा.क</u> <u>नरसिंहपुर</u></p> <p>C वन एवं खनिज विभाग से संबंधित प्रकरण।</p> <p>D <u>आरक्षी केन्द्र</u> <u>कोतवाली</u> <u>नरसिंहपुर</u> के अंतर्गत समस्त परिवाद पत्र एवं धारा 138 एन.आई.एकट से संबंधित प्रकरण।</p>	<p>2. कॉलम नंबर 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र सुआतला से संबंधित धारा 138 एन.आई.एकट के प्रकरण एवं प्राईवेट परिवाद प्रकरण।</p> <p>3. इस न्यायालय द्वारा पूर्व में विनिश्चय प्रकरण से संबंधित विषयवस्तु जो भी हो।</p> <p>4. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना।</p> <p>5. वन एवं खनिज विभाग से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण तथा उनसे उदभूत होने वाली विविध कार्यवाहियां (मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से संबंधित।)</p> <p>5. आरक्षी केन्द्र कोतवाली नरसिंहपुर के अंतर्गत समस्त प्राईवेट परिवाद पत्र एवं धारा 138 एन.आई.एकट से संबंधित प्रकरण।</p>
3	सुश्री अंकिता श्रीवारतव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नरसिंहपुर (म0प्र0)	<p>A <u>आरक्षी केन्द्र</u> <u>ठेमी</u> (आरक्षी केन्द्र ठेमी से उत्पन्न ऐसे आपराधिक प्रकरण जो केवल नरसिंहपुर तहसील क्षेत्र से संबंधित होकर नरसिंहपुर न्यायालय के क्षेत्राधिकार के हों)</p>	<p>1. कॉलम नंबर 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र ठेमी से प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण व विविध कार्यवाहियां (ऐसे अन्य प्रकरण व कार्यवाहियों, जिन्हें किसी अन्य मजिस्ट्रेट को इस कार्य विभाजन पत्रक द्वारा आवंटित किया गया है, को छोड़कर) (आरक्षी केन्द्र ठेमी से उत्पन्न ऐसे आपराधिक प्रकरण जो केवल नरसिंहपुर तहसील क्षेत्र से संबंधित हों तथा गोटेगांव तहसील क्षेत्र के अंतर्गत न होकर गोटेगांव न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं)</p> <p>2. कॉलम नंबर 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र ठेमी से संबंधित धारा 138 एन.आई.एकट के प्रकरण एवं प्राईवेट परिवाद पत्र।</p> <p>3. इस न्यायालय द्वारा पूर्व में विनिश्चय प्रकरण से संबंधित विषयवस्तु जो भी हो।</p> <p>4. अंतरण पर प्राप्त होने वाले प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना।</p>
4	श्री राधाकृष्ण यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नरसिंहपुर (म0प्र0)	<p>A <u>आरक्षी केन्द्र</u> <u>करेली, जी.</u> <u>आर.पी</u> (ऐसे</p>	<p>1. कॉलम नंबर 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र करेली, जी.आर.पी गाडरवारा से संबंधित प्रस्तुत होने वाले आपराधिक</p>

		<p>मामले जो गाड़रवारा न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं।)</p> <p>B जिला न्यायालय परिसर एवं गाड़रवारा, तेंदूखेड़ा, गोटेगांव सिविल न्यायालय परिसर</p> <p>C <u>आरक्षी केन्द्र स्टेशनगंज नरसिंहपुर</u> के अंतर्गत समस्त परिवाद पत्र एवं धारा 138 एन. आई.एक्ट से संबंधित प्रकरण।</p>	<p>प्रकरण व विविध कार्यवाहियाँ (ऐसे अन्य प्रकरण व कार्यवाहियों, जिन्हें किसी अन्य मजिस्ट्रेट को इस कार्य विभाजन पत्रक द्वारा आवंटित किया गया है, को छोड़कर)</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. आरक्षी केन्द्र करेली से संबंधित धारा 138 एन. आई.एक्ट के प्रकरण एवं प्राईवेट परिवाद पत्र। 3. इस न्यायालय द्वारा पूर्व में विनिश्चत प्रकरण से संबंधित विषयवस्तु जो भी हो। 4. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना। 5. सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 से संबंधित प्रकरण। 6. आरक्षी केन्द्र स्टेशनगंज नरसिंहपुर के अंतर्गत समस्त प्राईवेट परिवाद पत्र एवं धारा 138 एन. आई.एक्ट से संबंधित प्रकरण।
5	सुश्री परिधि शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नरसिंहपुर (म0प्र0)	<p>A महिला थाना नरसिंहपुर</p> <p>B आरक्षी केन्द्र कोतवाली, स्टेशनगंज, करेली, सुआतला, जी.आर.पी. चौकी नरसिंहपुर (आरक्षी केन्द्र करेली, सुआतला, जी.आर.पी. चौकी नरसिंहपुर के ऐसे प्रकरण जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार गाड़रवारा न्यायालय के अंतर्गत है, को छोड़कर), मुंगवानी, ठेमी (ऐसे प्रकरण जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार गोटेगांव न्यायालय के अंतर्गत है, को छोड़कर), एवं अ.जा.क नरसिंहपुर के स्थानीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न घरेलू</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. महिला थाना नरसिंहपुर के अंतर्गत तहसील नरसिंहपुर एवं तहसील करेली की स्थानीय प्राधिकारिता के अंतर्गत तथा पुलिस थाना करेली एवं पुलिस थाना सुआतला के ऐसे गांव जो तहसील करेली में आते हैं, उनमें घटित अपराधों के मामलों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार तथा पुलिस थाना मुंगवानी एवं ठेमी के ऐसे गांव जो तहसील नरसिंहपुर के सीमा क्षेत्र में आते हैं, उनमें घटित अपराधों के मामलों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार। 2. आरक्षी केन्द्र कोतवाली, स्टेशनगंज, करेली, सुआतला, जी.आर.पी. चौकी नरसिंहपुर (आरक्षी केन्द्र करेली, सुआतला, जी.आर.पी. चौकी नरसिंहपुर के ऐसे प्रकरण जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार गाड़रवारा न्यायालय के अंतर्गत है, को छोड़कर), मुंगवानी, ठेमी (ऐसे प्रकरण जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार गोटेगांव न्यायालय के अंतर्गत है, को छोड़कर), एवं अ.जा.क नरसिंहपुर के स्थानीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न घरेलू

		<p>से संबंधित वह प्रकरण जो मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है।</p>	<p>हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के मामले और महिलाओं के प्रति कृता एवं उत्पीड़न संबंधी सभी मामले और उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियां (माननीय विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों को छोड़कर)</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. उपरोक्त आरक्षी केन्द्रों (माननीय कुटुम्ब न्यायालय के अंतर्गत एवं ग्राम न्यायालय के अंतर्गत आने वाले मामलों को छोड़कर) के अंतर्गत उद्भूत धारा 125 से 128 द.प्र.सं संबंधी समस्त मामले। 4. इस न्यायालय द्वारा पूर्व में विनिश्चत प्रकरण से संबंधित विषयवस्तु जो भी हो। 5. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना।
6	सुश्री प्रमिला राय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नरसिंहपुर (म0प्र0)		<ol style="list-style-type: none"> 1. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना।
7	श्रीमती ऐश्वर्या जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नरसिंहपुर (म0प्र0)	A <u>आरक्षी केन्द्र मुंगवानी</u> (आरक्षी केन्द्र मुंगवानी से उत्पन्न ऐसे आपराधिक प्रकरण जो गोटेगांव तहसील के क्षेत्र से संबंधित न होकर केवल नरसिंहपुर तहसील से संबंधित हो)	<ol style="list-style-type: none"> 1. कॉलम नंबर 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र मुंगवानी से प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण व विविध कार्यवाहियां (ऐसे अन्य प्रकरण व कार्यवाहियों, जिन्हें किसी अन्य मजिस्ट्रेट को इस कार्य विभाजन पत्रक द्वारा आवंटित किया गया है, को छोड़कर) 2. कॉलम नंबर 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र मुंगवानी से संबंधित धारा 138 एन.आई.एक्ट के प्रकरण एवं प्राईवेट परिवाद प्रकरण। 3. इस न्यायालय द्वारा पूर्व में विनिश्चत प्रकरण से संबंधित विषयवस्तु जो भी हो। 4. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना।

गाडरवारा जिला नरसिंहपुर म0प्र0

8	श्री अश्विन परमार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गाडरवारा	A <u>आरक्षी केन्द्र</u> <u>गाडरवारा</u> <u>जी.आर.पी.</u> <u>गाडरवारा</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. कॉलम नंबर 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र गाडरवारा एवं जी.आर.पी. गाडरवारा (जी.आर.पी. गाडरवारा के ऐसे मामले जो नरसिंहपुर न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं) से प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण व विविध कार्यवाहियां (ऐसे अन्य प्रकरण व कार्यवाहियों,
---	--	---	--

	B	सम्पूर्ण तहसील गाडरवारा	जिन्हें किसी अन्य मजिस्ट्रेट को इस कार्य विभाजन पत्रक द्वारा आवंटित किया गया है, को छोड़कर)
	C	खनिज विधियों एवं वन विधियों के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले प्रकरण।	<p>2. कॉलम नंबर 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र गाडरवारा से संबंधित प्राईवेट परिवाद पत्र एवं धारा 138 एन.आई एक्ट के प्रकरण।</p> <p>3. तहसील गाडरवारा के आबकारी अधिनियम के तहत आबकारी विभाग द्वारा प्रस्तुत मामले।</p> <p>4. इस न्यायालय द्वारा पूर्व में विनिश्चय प्रकरण से संबंधित विषयवस्तु जो भी हो।</p> <p>5. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना।</p> <p>6. सम्पूर्ण गाडरवारा तहसील से उदभूत खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण।</p> <p>7. सम्पूर्ण तहसील गाडरवारा के क्षेत्र के अंतर्गत खनिज विधियों एवं वन विधियां एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले प्रकरण।</p> <p>8. मानसिक स्वारक्ष्य अधिनियम 1987 के अंतर्गत उदभूत आवेदन / प्रकरण।</p> <p>9. नगर पालिका अधिनियम से संबंधित तहसील गाडरवारा से संबंधित आपराधिक प्रकरण।</p> <p>10. माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा जारी अधिसूचना के पालन में ग्राम न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों का निराकरण।</p>
9	श्री अजय सिंह यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गाडरवारा	A आरक्षी केन्द्र चीचली, करेली एवं डोंगरगांव	<p>1. कॉलम नंबर 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों चीचली, करेली एवं डोंगरगांव (थाना करेली के ऐसे मामले जो नरसिंहपुर न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं) से प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण व विविध कार्यवाहियां (ऐसे अन्य प्रकरण व कार्यवाहियों, जिन्हें किसी अन्य मजिस्ट्रेट को इस कार्य विभाजन पत्रक द्वारा आवंटित किया गया है, को छोड़कर),</p> <p>2. कॉलम नंबर 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों चीचली, करेली एवं डोंगरगांव से संबंधित धारा 138 एन.आई.एक्ट के प्रकरण एवं प्राईवेट परिवाद पत्र।</p>

			<p>3. इस न्यायालय द्वारा पूर्व में विनिश्चत प्रकरण से संबंधित विषयवस्तु जो भी हो।</p> <p>4. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना।</p>
10	श्री विनय सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गाडरवारा	A <u>आरक्षी केन्द्र</u> <u>साईंखेड़ा,</u> <u>सुआतला एवं</u> <u>पलोहा</u>	<p>1. कॉलम नंबर 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र साईंखेड़ा, पलोहा एवं सुआतला (थाना सुआतला के ऐसे मामले जो नरसिंहपुर न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं) से प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण व विविध कार्यवाहियां (ऐसे अन्य प्रकरण व कार्यवाहियों, जिन्हें किसी अन्य मजिस्ट्रेट को इस कार्य विभाजन पत्रक द्वारा आवंटित किया गया है, को छोड़कर),</p> <p>2. कॉलम नंबर 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र साईंखेड़ा, सुआतला एवं पलोहा से संबंधित धारा 138 एन.आई.एक्ट के प्रकरण एवं प्राईवेट परिवाद पत्र।</p> <p>3. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दांडिक प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना।</p>
11	सुश्री शाम्भवी सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गाडरवारा	A <u>आरक्षी केन्द्र</u> <u>गाडरवारा,</u> <u>चीचली,</u> <u>साईंखेड़ा,</u> <u>डोंगरगांव,</u> <u>पलोहा, करेली,</u> <u>सुआतला, जी.</u> <u>आर.पी से</u> संबंधित महिलाओं से संबंधित वह प्रकरण जो मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। B महिला थाना नरसिंहपुर	<p>1. आरक्षी केन्द्र गाडरवारा, चीचली, साईंखेड़ा, डोंगरगांव, पलोहा, करेली, सुआतला (आरक्षी केन्द्र करेली, सुआतला से उत्पन्न ऐसे आपराधिक प्रकरण जो नरसिंहपुर न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं।) के स्थानीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के मामले और महिलाओं के प्रति कूरता एवं उत्पीड़न संबंधी सभी मामले और उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियां (माननीय विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों को छोड़कर)</p> <p>2. उपरोक्त आरक्षी केन्द्रों (ग्राम न्यायालय के अंतर्गत आने वाले मामलों को छोड़कर) के अंतर्गत उद्भूत धारा 125 से 128 द.प्र.सं संबंधी समस्त मामले।</p> <p>3. महिला थाना नरसिंहपुर से संबंधित तहसील गाडरवारा की स्थानीय प्राधिकारिता के अंतर्गत तथा पुलिस थाना करेली के ऐसे गांव जो तहसील गाडरवारा में आते हैं, उनमें घटित अपराधों के मामलों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार।</p> <p>4. अंतरण पर प्राप्त होने वाले प्रकरणों का</p>

			विधिवत् निराकरण करना।
--	--	--	-----------------------

तेंदूखेड़ा, जिला नरसिंहपुर (म०प्र०)

12	<p>श्री अरविंद मीणा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तेंदूखेड़ा (म०प्र०)</p>	<p>A <u>आरक्षी केन्द्र</u> <u>तेंदूखेड़ा</u></p> <p>B <u>महिला थाना</u> <u>नरसिंहपुर</u></p> <p>C सम्पूर्ण तहसील तेंदूखेड़ा</p>	<ol style="list-style-type: none"> कॉलम नंबर 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र तेंदूखेड़ा से प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण व विविध कार्यवाहियाँ (ऐसे अन्य प्रकरण व कार्यवाहियों, जिन्हें किसी अन्य मजिस्ट्रेट को इस कार्य विभाजन पत्रक द्वारा आवंटित किया गया है, को छोड़कर) आरक्षी केन्द्र तेंदूखेड़ा से उत्पन्न आपराधिक परिवाद प्रकरण, धारा 138 एन.आई.एक्ट से संबंधित आपराधिक प्रकरण, तहसील तेंदूखेड़ा के आवाकारी अधिनियम के तहत आवाकारी विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रकरण। महिला थाना नरसिंहपुर से संबंधित तहसील तेंदूखेड़ा की स्थानीय प्राधिकारिता के अंतर्गत तथा पुलिस थाना सुआतला तथा पुलिस थाना गाडरवारा के ऐसे गांव जो तहसील तेंदूखेड़ा में आते हैं, उनमें घटित अपराधों के मामलों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार। आरक्षी केन्द्र तेंदूखेड़ा के स्थानीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के मामले और महिलाओं के प्रति कूरता एवं उत्पीड़न संबंधी सभी मामले और उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियाँ (माननीय विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों को छोड़कर) आरक्षी केन्द्र तेंदूखेड़ा के अंतर्गत उद्भूत धारा 125 से 128 द०प्र०सं संबंधी समस्त मामले। तहसील तेंदूखेड़ा से संबंधित खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, खनिज विधियों एवं वन विधियों के अंतर्गत उद्भूत होने वाले प्रकरण, मानसिक स्वारक्ष्य अधिनियम 1987 के अंतर्गत उद्भूत आवेदन/प्रकरण, नगर पालिका अधिनियम से संबंधित तहसील तेंदूखेड़ा से संबंधित आपराधिक प्रकरण। अंतरण पर प्राप्त होने वाले दाण्डक प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना।
----	---	---	---

गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर (म0प्र०)

<p>13 श्री बॉबी सोनकर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोटेगांव (म0प्र०)</p>	<p>A <u>आरक्षी केन्द्र</u> <u>गोटेगांव एवं</u> <u>उससे संबंधित</u> <u>चौकी।</u></p> <p>B <u>आरक्षी केन्द्र</u> <u>मुंगवानी एवं</u> <u>ठेमी</u> (आरक्षी केन्द्र मुंगवानी एवं ठेमी से उत्पन्न ऐसे आपराधिक प्रकरण जो केवल गोटेगांव तहसील क्षेत्र से संबंधित हों तथा नरसिंहपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत न होकर गोटेगांव न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हों)</p> <p>C महिला थाना नरसिंहपुर</p>	<p>1. कॉलम नंबर 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र गोटेगांव, मुंगवानी, ठेमी से प्रस्तुत होने वाले आपराधिक प्रकरण व विविध कार्यवाहियां (ऐसे अन्य प्रकरण व कार्यवाहियाँ, जिन्हें किसी अन्य मजिस्ट्रेट को इस कार्य विभाजन पत्रक द्वारा आवंटित किया गया है, को छोड़कर)</p> <p>2. आरक्षी केन्द्र गोटेगांव, मुंगवानी, ठेमी से उत्पन्न आपराधिक परिवाद प्रकरण, धारा 138 एन. आई.एक्ट से संबंधित आपराधिक प्रकरण, तहसील गोटेगांव के आवकारी अधिनियम के तहत आवकारी विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रकरण।</p> <p>3. तहसील गोटेगांव से संबंधित खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, खनिज विधियों एवं वन विधियों के अंतर्गत उद्भूत होने वाले प्रकरण, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 के अंतर्गत उद्भूत आवेदन/प्रकरण, नगर पालिका अधिनियम से संबंधित तहसील गोटेगांव से संबंधित आपराधिक प्रकरण।</p> <p>4. आरक्षी केन्द्र गोटेगांव, मुंगवानी, ठेमी के स्थानीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के मामले और महिलाओं के प्रति कूरता एवं उत्पीड़न संबंधी सभी मामले और उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियां (माननीय विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों को छोड़कर)</p> <p>5. आरक्षी केन्द्र गोटेगांव, ठेमी, मुंगवानी के अंतर्गत उद्भूत धारा 125 से 128 द0प्र०सं संबंधी समरत मामले।</p> <p>6. महिला थाना नरसिंहपुर से संबंधित तहसील गोटेगांव की स्थानीय प्राधिकारिता के अंतर्गत तथा पुलिस थाना मुंगवानी एवं पुलिस थाना ठेमी के ऐसे गांव जो तहसील गोटेगांव में आते हैं, उनमें घटित अपराधों के मामलों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार।</p> <p>7. अंतरण पर प्राप्त होने वाले दाण्डक प्रकरणों का विधिवत निराकरण करना।</p>
--	---	---

सामान्य निर्देश :-

1. इस आदेश निर्वहन में कोई भ्रम उत्पन्न होने पर मार्गदर्शन हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को संदर्भित किया जावे।
2. वर्तमान कार्य विभाजन आदेश का प्रभाव अभियोग पत्र प्रस्तुत किए जाने के पूर्व की रिमांड कार्यवाही व विविध कार्यवाहियों को छोड़कर पूर्व से लंबित प्रकरणों पर नहीं होगा।
3. भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 23.12.2022 के अनुसार स्वापक औषधि अधिनियम 1985 में हुए संसोधन के अनुसार—समर्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, क्षेत्राधिकारिता रखने वाले संबंधित आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत धारा 52क एन.डी.पी.एस एकट के प्रस्तुत आवेदन का निराकरण प्रभावी कार्य विभाजन/वितरण आदेश अनुसार करेंगे।
श्री भारत सिंह रघुवंशी, जे.एम.एफ.सी. नरसिंहपुर आरक्षी केन्द्र कोतवाली एवं सुश्री अंकिता श्रीवास्तव जे.एम.एफ.सी नरसिंहपुर आरक्षी केन्द्र स्टेशनगंज नरसिंहपुर से धारा 52क एन.डी.पी.एस एकट के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र का निराकरण करेंगे एवं उक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश एवं उपलब्ध न रहने की स्थिति में उनका कार्यभार देखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त कार्य संपादित किया जावेगा।
4. जिले में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटगण के अवकाश पर या अन्यथा बाहर रहने की स्थिति में उनके न्यायालय से संबंधित आपराधिक प्रकरणों में तत्कालीन आवश्यक कार्य की व्यवस्था इस आदेश के साथ संलग्न **परिशिष्ट ब** के अनुसार होगी तथा धारा 164 द०प्र०सं के अधीन कथनों एवं संस्थीकृतियों को लिपिबद्ध करने के लिए **परिशिष्ट अ** के अनुसार व्यवस्था होगी।
5. नरसिंहपुर जिले में पदस्थ सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट माह में एक बार अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नरसिंहपुर तथा माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय नरसिंहपुर को पूर्व सूचित करने के पश्चात मोटरयान अधिनियम के तहत चलित न्यायालय लगा सकेंगे।
6. इस कार्य विभाजन पत्रक से किसी अधिनियम, नियम अथवा अधिसूचना द्वारा दिया गया क्षेत्राधिकार प्रभावित नहीं होगा।
7. जिला मुख्यालय नरसिंहपुर पर घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित प्रकरणों में पारित आदेश से उत्पन्न निष्पादन कार्यवाहियां अधिकारिता रखने वाले न्यायालय, सुश्री परिधि शर्मा जे.एम.एफ.सी नरसिंहपुर के द्वारा सम्पादित किया जावेंगे एवं उनके अवकाश पर होने पर उनके प्रभार वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा सम्पादित किया जावेगा।
8. जिला मुख्यालय नरसिंहपुर पर धारा 125 से 128 द.प्र.सं से संबंधित प्रकरणों (उन प्रकरणों को छोड़कर जो माननीय कुटुम्ब न्यायालय द्वारा विचारण योग्य हैं) में पारित आदेश से उत्पन्न निष्पादन कार्यवाही अधिकारिता रखने वाले न्यायालय सुश्री परिधि शर्मा जे.एम.एफ.सी नरसिंहपुर के द्वारा सम्पादित किया जावेंगे एवं उनके अवकाश पर होने पर उनके प्रभार वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा सम्पादित किया जावेगा।
9. तहसील मुख्यालय गाडरवारा तेंदूखेड़ा एवं गोटेगांव पर घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित प्रकरणों में पारित आदेश से उत्पन्न निष्पादन कार्यवाहियां अधिकारिता रखने वाले न्यायालय कमशः सुश्री शाम्भवी सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गाडरवारा, श्री अरविंद मीणा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तेंदूखेड़ा एवं श्री बौबी सोनकर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोटेगांव के द्वारा सम्पादित किया जावेंगे एवं उनके अवकाश पर होने पर उनके प्रभार वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा सम्पादित किया जावेगा।
10. तहसील मुख्यालय गाडरवारा, तेंदूखेड़ा एवं गोटेगांव पर धारा 125 से 128 द.प्र.सं से संबंधित

प्रकरणों (उन प्रकरणों को छोड़कर जो ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य है) में पारित आदेश से उत्पन्न निष्पादन कार्यवाही अधिकारिता रखने वाले न्यायालय कमशः सुश्री शाम्भवी सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गाड़रवारा, श्री अरविंद मीणा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तेंदूखेड़ा एवं श्री बॉबी सोनकर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोटेगांव के द्वारा सम्पादित किया जावेंगे एवं उनके अवकाश पर होने पर उनके प्रभार वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा सम्पादित किया जावेगा।

- 11 जिला मुख्यालय नरसिंहपुर पर रिक्त न्यायालयों के पूर्व के तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेटों के द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम एवं धारा 125 से 128 द.प्र.सं में पारित आदेशों से संबंधित निष्पादन कार्यवाही एवं विविध कार्यवाहियां जिला मुख्यालय नरसिंहपुर में सुश्री परिधि शर्मा जे.एम.एफ.सी जे.एम.एफ.सी नरसिंहपुर एवं तहसील गाड़रवारा, तेंदूखेड़ा एवं गोटेगांव में कमशः सुश्री शाम्भवी सिंह, जे.एम.एफ.सी गाड़रवारा, श्री अरविंद मीणा जे.एम.एफ.सी तेंदूखेड़ा एवं श्री बॉबी सोनकर, जे.एम.एफ.सी गोटेगांव द्वारा सम्पादित की जावेगी।
12. माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जिला नरसिंहपुर क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र के वे सभी प्रकरण जो उक्त अधिसूचना के अनुसार ग्राम न्यायालयों के द्वारा विचारण योग्य हैं, वे सभी प्रकरण ग्राम न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत किए जायेंगे।
13. न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय अपने क्षेत्राधिकारिता में मामले के निराकरण हेतु पूर्व से टूर प्रोग्राम तैयार कर जानकारी माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय को देंगे।
14. माननीय विशेष न्यायालयों से संबंधित मामलों में, अवकाश की दशा में रिमाण्ड ड्यूटी मजिस्ट्रेट प्रथम रिमाण्ड की कार्यवाही करने हेतु अधिकृत रहेंगे एवं कार्यदिवस की दशा में माननीय विशेष न्यायालयों के समक्ष ही प्रथम रिमाण्ड की कार्यवाही संपादित की जावेगी।
15. मोटर वाहन दुघर्टना से संबंधित आपराधिक प्रकरणों में वाहन सुपुर्दगी के मामलों में वाहन के रजिस्ट्रेशन, बीमा, ड्रायविंग लाइसेंस, परमिट एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की छायाप्रति सत्यापित कर सुपुर्दगी प्रपत्र के साथ संलग्न की जावे।
16. वर्तमान में अस्तित्व में न होने वाले न्यायालयों के जारी स्थायी वारण्ट के पालन में आरोपी को अभिरक्षा में प्रस्तुत करने पर या आरोपी द्वारा समर्पण करने पर संबंधित आरक्षी केन्द्र पर क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होंगे और उन्हीं के द्वारा प्रकरण का निराकरण किया जाएगा।
17. यदि स्थायी गिरफ्तारी वारण्ट जारी करने वाली न्यायालय रिक्त नहीं है, तो ऐसी दशा में स्थायी गिरफ्तारी वारण्ट के पालन में अभियुक्त को उसी न्यायालय में उपस्थित किया जाएगा, जिस न्यायालय के द्वारा स्थायी गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया गया है।
18. धारा 138 एन.आई. एकट के मामलों में वर्तमान में अस्तित्व में ना होने वाले न्यायालयों द्वारा जारी स्थायी वारण्ट के पालन में आरोपी को अभिरक्षा में प्रस्तुत करने पर या आरोपी द्वारा समर्पण करने पर धारा 138 एन.आई. एकट के अंतर्गत संबंधित आरक्षी केन्द्र पर क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होंगे एवं उन्हीं के द्वारा प्रकरण का निराकरण किया जाएगा।
19. महिलाओं से संबंधित प्रकरणों में स्थायी वारंट की स्थिति में वर्तमान में महिलाओं से संबंधित मामलों में अधिकारिता रखने वाले न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत किए जावेंगे।
20. ऐसे सभी आवश्यक दाण्डिक कार्य जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन पत्रक में नहीं है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नरसिंहपुर के समक्ष प्रस्तुत होंगे।
21. जिला मुख्यालय पर रिमाण्ड ड्यूटी करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट को उस दिन तहसील

नरसिंहपुर के समस्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रों का अतिरिक्त आवश्यक कार्य संपादित करने का अधिकार क्षेत्र होगा ।

22. विचाराधीन बण्डल फाइल (रिमाण्ड प्रपत्र व सुपुर्दगी प्रपत्र) संबंधित आरक्षी केन्द्र पर क्षेत्राधिकार रखने वाले जे.एम.एफ.सी. के न्यायालय में भेजे जावें ।
23. आकस्मिकता की अवस्था में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मजिस्ट्रेटों की रिमाण्ड ड्यूटी में परिवर्तन किया जा सकेगा ।
24. संबंधित मजिस्ट्रेट अपने—अपने आरक्षी केन्द्र क्षेत्र की ओर से प्रस्तुत होने वाले अंतिम प्रतिवेदनों/खात्मा प्रतिवेदन (एफ.आर.) का निराकरण करेंगे ।
25. पूर्व पीठासीन अधिकारियों द्वारा पारित निर्णय जिनके न्यायालय वर्तमान में रिक्त हैं, की अपील/निगरानी में माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश का परिपालन जिला मुख्यालय नरसिंहपुर में श्री भारत सिंह रघुवंशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नरसिंहपुर के द्वारा एवं गाडरवारा में श्री विनय सोनी न्यायिक मजिठ प्रथम श्रेणी गाडरवारा, तेंदुखेड़ा में श्री अरविंद मीणा, न्यायिक मजिठ प्रथम श्रेणी तेंदुखेड़ा एवं गोटेगांव में श्री बॉबी सोनकर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोटेगांव के द्वारा किया जावेगा ।
26. धारा 164 द.प्र.सं के आवेदनों के निराकरण के संबंध में संबंधित मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने की दशा में उनके प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आवेदनों का निराकरण किया जावेगा, यदि प्रभारी मजिस्ट्रेट के पास धारा 164 द.प्र.सं के आवेदन से संबंधित मूल आरक्षी केन्द्र का प्रभार है, तो इसके द्वितीय प्रभारी/तृतीय प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 164 द.प्र.सं के आवेदनों का निराकरण किया जावेगा ।
27. समस्त जे.एम.एफ.सी यदि धारा 167(2) द०प्र०सं० के तहत पुलिस रिमाण्ड स्वीकार करते हैं, तो आदेश की प्रतिलिपि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नरसिंहपुर की ओर आवश्यक रूप से भेजी जावे ।
28. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय से प्रस्थान नहीं करेंगे। प्रस्थान करने के पूर्व इसकी सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को देंगे या आवेदन प्रस्तुत करेंगे ।
29. धारा 176(1—ए) द.प्र.सं के तहत मृतक वंदियों की जांच हेतु निम्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नरसिंहपुर को अधिकृत किया जाता है ।

वर्ष 2024

क्र०	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	दिनांक से	दिनांक तक
1	श्री भारत सिंह रघुवंशी जे.एम.एफ.सी	01.04.2024	31.05.2024
2.	सुश्री अंकिता श्रीवास्तव, जे.एम.एफ.सी	01.06.2024	31.07.2024
3	श्री राधाकृष्ण यादव, जे.एम.एफ.सी	01.08.2024	30.09.2024
4	सुश्री परिधि शर्मा, जे.एम.एफ.सी	01.10.2024	30.11.2024
5.	सुश्री प्रमिला राय, जे.एम.एफ.सी	01.12.2024	31.01.2025
6.	श्रीमती ऐश्वर्या जैन	01.02.2025	31.03.2025

30. तहसील न्यायालय गाडरवारा, तेंदुखेड़ा एवं गोटेगांव के अंतर्गत आरक्षी केन्द्रों पर अधिकारिता रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट को ही धारा 176(1—ए) द.प्र.सं के तहत मृतक वंदियों की जांच हेतु अधिकृत किया जाता है ।

31. यदि मृतक बंदी की मृत्यु दिनांक/पंचनामा बनाये जाने की दिनांक को संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश की दशा/मुख्यालय से बाहर रहने की दशा में मृत्यु जांच/पंचनामा की कार्यवाही उनके प्रभार में कार्य का निष्पादन करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जावेगी।

नोट—किसी न्यायालय के आवश्यक कार्य में क्रमांक 32, 33 एवं 34 में उल्लेखित कार्य माने जावेंगे।

32. रिमांड, जमानत, उपरिथित माफी आवेदन, सुपुर्दगीनामा आवेदन, प्रोसेस पर हस्ताक्षर करना तथा संक्षिप्त विचारण शक्तियों के सशक्त होने पर समरी प्रक्रिया के विचारणीय ऐसे प्रकरणों के चालान जिसमें अभियुक्त दोषसिद्धि का अभिवाक करना चाहता है।
33. ऐसे मामले जो समरी प्रक्रिया के तहत विचारणीय हैं एवं अभियुक्त दोषसिद्धि का अभिवाक करने के लिए तत्पर हैं, तो संक्षिप्त विचारण करने हेतु सशक्त मजिस्ट्रेट ऐसे मामलों का प्रभार के दौरान निराकरण करेंगे तथा ऐसे मामलों का पंजीकरण निराकरण करने वाले न्यायालय में ही होगा।
34. जहां पीठासीन न्यायिक मजिस्ट्रेट अवकाश पर है और उनके समक्ष लंबित आपराधिक प्रकरण में कोई ऐसा साक्षी उपरिथित हुआ है, जिसका वृद्धावरथा, बीमारी या आने वाले स्थान से अत्याधिक दूरी, सेवा शर्तों के कारण अवकाश ना मिलने, आने-जाने में अत्याधिक व्यय होने आदि कारणों से पुनः साक्ष्य हेतु उपरिथित होना असाध्य, अत्यंत कष्टकारी, व्यक्तिकारी या अत्यंत असुविधाजनक है, वहां पर ऐसे मामले वापस लिये जाकर इन्वार्ज मजिस्ट्रेट को उक्त दिनांक को विधिवत निराकरण हेतु अंतरित समझे जाएंगे और इन्वार्ज मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त साक्षी का कथन लिपिबद्ध किया जाएगा।
35. इस कार्य विभाजन पत्रक में उल्लेखित महिलाओं से संबंधित अपराधों के अंतर्गत आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत धारा 166क, 166ख, 228क, 354, 354क, 354ख, 354ग, 354घ, 509, 498ए भा.द.वि. एवं धारा 3, 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित मामले तथा इनसे संबंधित परिवाद पत्र, खात्मा एवं संबंधित प्रकरणों की समस्त कार्यवाहियां व विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां शामिल हैं।

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा अनुमोदित।

Principal District & Sessions Judge,
Narsinghpur (M.P.)

१९-५-२०२४

P. Bahadur
(प्रसन्न बहादुर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नरसिंहपुर म0प्र0

परिशिष्ट-अ

इस सारणी में दर्शाये गए आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत धारा 164 द०प्र०सं के कथन एवं संस्वीकृति का अभिलेखन उनके समक्ष दर्शाये गए न्यायिक मजिस्ट्रेट करेंगे।

नरसिंहपुर

क्र	आरक्षी केन्द्र का नाम	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार
1	कोतवाली, स्टेशनगंज, यातायात	श्री भारत सिंह रघुवंशी जे.एम.एफ.सी	श्री राधाकृष्ण यादव जे.एम.एफ.सी	सुश्री अंकिता श्रीवास्तव जे.एम.एफ.सी
2	सुआतला, अ.जा.क	श्री राधाकृष्ण यादव जे.एम.एफ.सी	सुश्री प्रमिला रौय जे.एम.एफ.सी	श्रीमती ऐश्वर्या जैन जे.एम.एफ.सी
3.	ठेमी	सुश्री प्रमिला रौय जे.एम.एफ.सी	श्रीमती ऐश्वर्या जैन जे.एम.एफ.सी	श्री भारत सिंह रघुवंशी जे.एम.एफ.सी
4	करेली, जी.आर.पी गाडरवारा	श्रीमती ऐश्वर्या जैन जे.एम.एफ.सी	सुश्री अंकिता श्रीवास्तव जे.एम.एफ.सी	सुश्री प्रमिला रौय जे.एम.एफ.सी
5	मुंगवानी	सुश्री प्रमिला रौय जे.एम.एफ.सी	श्री भारत सिंह रघुवंशी जे.एम.एफ. सी	श्री राधाकृष्ण यादव जे.एम.एफ. सी
5	न्यायालय नरसिंहपुर के अंतर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्र कोतवाली, स्टेशनगंज, महिला थाना, करेली, अ.जा. क. जी.आर.पी. चौकी नरसिंहपुर, सुआतला, मुंगवानी, ठेमी, (उक्त आरक्षी केन्द्र के वह प्रकरण जो नरसिंहपुर न्यायालय के क्षेत्राधिकार में हैं) से उद्भूत महिलाओं से संबंधित आपराधिक मामले जिनका विचारण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा किया जाना है।	सुश्री प्रमिला रौय जे.एम.एफ.सी	सुश्री अंकिता श्रीवास्तव जे.एम.एफ.सी	श्रीमती ऐश्वर्या जैन जे.एम.एफ.सी
6.	न्यायालय नरसिंहपुर के अंतर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्र कोतवाली, स्टेशनगंज, महिला थाना, करेली, अ.जा.	सुश्री अंकिता श्रीवास्तव जे.एम.एफ.सी	श्रीमती ऐश्वर्या जैन जे.एम.एफ.सी	सुश्री प्रमिला रौय जे.एम.एफ.सी

क, जी.आर.पी. चौकी नरसिंहपुर, सुआतला, मुंगवानी, ठेमी, (उक्त आरक्षी केन्द्र के वह प्रकरण जो नरसिंहपुर न्यायालय के क्षेत्राधिकार में) महिलाओं से संबंधित अपराधों में अभियोक्त्री के द.प्र.सं. की धारा 164 के कथन (मजिस्ट्रेट न्यायालय में विचारणीय धाराओं को छोड़कर) से संबंधित मामले			
---	--	--	--

//गाड़रवारा //

क्र	आरक्षी केन्द्र का नाम	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार
1	गाड़रवारा, जी.आर.पी. गाड़रवारा	श्री विनय सोनी, जे.एम.एफ.सी गाड़रवारा	श्री अजय सिंह यादव जे.एम.एफ. सी	सुश्री शाम्भवी सिंह, जे.एम.एफ.सी गाड़रवारा
2	चीचली, करेली, डोंगरगांव	श्री अश्विन परमार, जे.एम.एफ.सी गाड़रवारा	श्री विनय सोनी, जे.एम.एफ.सी गाड़रवारा	सुश्री शाम्भवी सिंह, जे.एम.एफ.सी गाड़रवारा
3	सांईखेड़ा, सुआतला, पलोहा	श्री अजय सिंह यादव जे.एम.एफ.सी	श्री अश्विन परमार, जे.एम.एफ.सी.	सुश्री शाम्भवी सिंह, जे.एम.एफ.सी गाड़रवारा
4	न्यायालय गाड़रवारा के अंतर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्र गाड़रवारा, डोंगरगांव, चीचली, सांईखेड़ा जी.आर.पी. पलोहा, करेली, सुआतला से उद्भूत महिलाओं से संबंधित आपराधिक मामले जिनका विचारण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा किया जाना है।	श्री विनय सोनी जे.एम.एफ.सी	श्री अजय सिंह यादव जे.एम.एफ. सी	श्री अश्विन परमार जे.एम.एफ.सी
6.	न्यायालय गाड़रवारा के अंतर्गत आने वाले आरक्षी	सुश्री शाम्भवी सिंह जे.एम.एफ.सी	श्री विनय सोनी जे.एम.एफ.सी	श्री अजय सिंह यादव जे.एम.एफ.सी

केन्द्र गाडरवारा, डोंगरगांव, चीचली, सांईखेड़ा जी.आर.पी. पलौहा, करेली, सुआतला में महिलाओं से संबंधित अपराधों में अभियोक्त्री के द. प्र.सं. की धारा 164 के कथन (मजिस्ट्रेट न्यायालय में विचारणीय धाराओं को छोड़कर) से संबंधित मामले			
---	--	--	--

// तेंदूखेड़ा //

क्र	आरक्षी केन्द्र का नाम	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार
1	आरक्षी केन्द्र तेंदूखेड़ा	श्री अजय सिंह यादव जे.एम.एफ.सी	श्री अश्विन कुमार, जे.एम.एफ.सी गाडरवारा	श्री विनय सोनी जे.एम.एफ.सी
2	तहसील मुख्यालय तेंदूखेड़ा के अंतर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्र तेंदूखेड़ा से उद्भूत महिलाओं से संबंधित आपराधिक मामले जिनका विचारण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा किया जाना है।	सुश्री शाम्बवी सिंह जे.एम.एफ.सी गाडरवारा	श्री अजय सिंह यादव जे.एम.एफ. सी	श्री विनय सोनी जे.एम.एफ.सी
3	तहसील मुख्यालय तेंदूखेड़ा के अंतर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्र तेंदूखेड़ा में महिलाओं से संबंधित अपराधों में अभियोक्त्री के द.प्र.सं. की धारा 164 के कथन (मजिस्ट्रेट न्यायालय में विचारणीय धाराओं को छोड़कर) से संबंधित मामले	सुश्री शाम्बवी सिंह जे.एम.एफ.सी गाडरवारा	श्री अश्विन कुमार, जे.एम.एफ.सी गाडरवारा	श्री अजय सिंह यादव जे.एम.एफ.सी गाडरवारा

// गोटेगांव //

क्र.	आरक्षी केन्द्र का नाम	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार
1	गोटेगांव, ठेमी, मुंगवानी	श्री भारत सिंह रघुवंशी जे.एम.एफ.सी	श्री राधाकृष्ण यादव जे.एम.एफ. सी	सुश्री प्रमिला रॉय जे.एम.एफ.सी नरसिंहपुर
2	तहसील मुख्यालय गोटेगांव, के अंतर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्र गोटेगांव, ठेमी, मुंगवानी (उक्त दोनों आरक्षी केन्द्र के वह प्रकरण जो गोटेगांव न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हैं।) से उद्भूत महिलाओं से संबंधित आपराधिक मामले जिनका विचारण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा किया जाना है।	सुश्री प्रमिला रॉय जे.एम.एफ.सी नरसिंहपुर	श्रीमती ऐश्वर्या जैन जे.एम.एफ.सी	सुश्री अंकिता श्रीवारतव जे.एम.एफ.सी
3	तहसील मुख्यालय गोटेगांव, के अंतर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्र गोटेगांव, ठेमी, मुंगवानी (आरक्षी केन्द्र ठेमी, मुंगवानी के वह प्रकरण जो गोटेगांव न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हैं।) से उद्भूत वह आपराधिक मामले जो महिलाओं से संबंधित अपराधों में अभियोकत्री के द.प्र.सं. की धारा 164 के कथन (मजिस्ट्रेट न्यायालय में विचारणीय धाराओं को छोड़कर) से संबंधित मामले	सुश्री अंकिता श्रीवारतव जे.एम.एफ.सी	श्रीमती ऐश्वर्या जैन जे.एम.एफ.सी	सुश्री प्रमिला रॉय जे.एम.एफ.सी नरसिंहपुर

नोट :- 1. इस सूची के अतिरिक्त अन्य किसी रिथति में यदि धारा 164 द.प्र.सं के अंतर्गत कथन लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाता है अथवा किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने की दशा में यह भ्रम उत्पन्न होता है कि कथन किसके द्वारा लेख किया जावेगा तो ऐसे मामले उचित आदेश हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जावेंगे।

2. यदि किसी ब्लात्संग पीड़ित महिला को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार धारा 164 द.प्र.सं के कथन हेतु 24 घंटे के भीतर अवकाश के दिन प्रस्तुत किया जाता है तो उस दिन रिमाण्ड डयूटी सम्पादित करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त पीड़ित महिला का कथन लेख किया जावेगा।

3. यदि उपरोक्त अनुसूची के अनुसार धारा 164 द.प्र.सं के अंतर्गत कथन लेख करने के लिए अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट को ही कार्य विभाजन आदेश के अनुसार उस मामले के विचारण का क्षेत्राधिकार होना पाया जावे तो ऐसे न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा धारा 164 द.प्र.सं के अंतर्गत कथन लेख किया जावेगा।

*R. Bahuguna
19-06-2014
(प्रसन्नकामिनी)*
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नरसिंहपुर (म.प्र.)

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा अनुमोदित।

*R. Bahuguna
19-06-2014*
**Principal District & Sessions Judge,
Narsinghpur (M.P.)**

परिशिष्ट ब

नरसिंहपुर जिले एवं तहसील गाडरवारा, तेंदूखेड़ा, गोटेगांव में कार्यरत न्यायिक मजिस्ट्रेटों के अवकाश/अनुपरिधि या अन्य कर्तव्य में व्यस्त रहने की स्थिति में, उनके नाम के अगले कम में दर्शाये गए न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा उस न्यायालय का आवश्यक आपराधिक कार्य सम्पादित किया जावेगा।

// जिला मुख्यालय नरसिंहपुर //

क्र०	न्यायालय का नाम	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार
1	श्री प्रसन्न सिंह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नरसिंहपुर	श्री राधाकृष्ण यादव जे.एम.एफ.सी नरसिंहपुर	श्री भारत सिंह रघुवंशी जे.एम.एफ. सी नरसिंहपुर	सुश्री परिधि शर्मा, जे.एम.एफ.सी नरसिंहपुर
2	श्री भारत सिंह रघुवंशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नरसिंहपुर	सुश्री परिधि शर्मा, जे.एम.एफ.सी नरसिंहपुर	श्री राधाकृष्ण यादव जे.एम.एफ.सी नरसिंहपुर	सुश्री प्रमिला रॉय जे.एम.एफ.सी नरसिंहपुर
3	सुश्री अंकिता श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नरसिंहपुर	श्री भारत सिंह रघुवंशी जे.एम.एफ.सी नरसिंहपुर	श्रीमती ऐश्वर्या जैन जे.एम.एफ.सी नरसिंहपुर	सुश्री परिधि शर्मा, जे.एम.एफ.सी नरसिंहपुर
4	श्री राधाकृष्ण यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नरसिंहपुर	सुश्री परिधि शर्मा, जे.एम.एफ.सी नरसिंहपुर	सुश्री प्रमिला रॉय जे.एम.एफ.सी नरसिंहपुर	श्रीमती ऐश्वर्या जैन जे.एम.एफ.सी नरसिंहपुर
5	सुश्री परिधि शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नरसिंहपुर	श्रीमती ऐश्वर्या जैन जे.एम.एफ.सी नरसिंहपुर	श्री भारत सिंह रघुवंशी जे.एम.एफ. सी नरसिंहपुर	सुश्री प्रमिला रॉय जे.एम.एफ.सी नरसिंहपुर
6	सुश्री प्रमिला रॉय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नरसिंहपुर	श्री भारत सिंह रघुवंशी जे.एम.एफ.सी नरसिंहपुर	सुश्री परिधि शर्मा, जे.एम.एफ.सी नरसिंहपुर	सुश्री अंकिता श्रीवास्तव जे.एम.एफ.सी नरसिंहपुर
7.	श्रीमती ऐश्वर्या जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नरसिंहपुर	सुश्री प्रमिला रॉय जे.एम.एफ.सी नरसिंहपुर	सुश्री परिधि शर्मा, जे.एम.एफ.सी नरसिंहपुर	श्री भारत सिंह रघुवंशी जे.एम.एफ.सी नरसिंहपुर

// तहसील गाडरवारा //

क्र०	न्यायालय का नाम	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार
1	श्री अश्विन परमार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गाडरवारा	श्री अजय सिंह यादव जे.एम.एफ.सी गाडरवारा	श्री विनय सोनी जे.एम.एफ.सी गाडरवारा	सुश्री शाम्भवी सिंह जे.एम.एफ.सी गाडरवारा

2.	श्री अजय सिंह यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गाडरवारा	श्री अश्विन परमार जे.एम.एफ.सी गाडरवारा	सुश्री शाम्भवी सिंह जे.एम.एफ.सी गाडरवारा	श्री विनय सोनी जे.एम.एफ.सी गाडरवारा
3.	श्री विनय सोनी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गाडरवारा	सुश्री शाम्भवी सिंह, जे.एम.एफ.सी गाडरवारा	श्री अजय सिंह यादव जे.एम.एफ. सी गाडरवारा	श्री अश्विन परमार जे.एम.एफ.सी गाडरवारा
4	सुश्री शाम्भवी सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गाडरवारा	श्री विनय सोनी जे.एम.एफ.सी गाडरवारा	श्री अश्विन परमार जे.एम.एफ.सी गाडरवारा	श्री अजय सिंह यादव जे.एम.एफ.सी गाडरवारा

// तहसील तेंदूखेड़ा //

क्र०	न्यायालय का नाम	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार
1	श्री अरविंद मीणा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तेंदूखेड़ा	श्री अजय सिंह यादव जे.एम.एफ.सी गाडरवारा	श्री विनय सोनी जे.एम.एफ.सी गाडरवारा	श्री अश्विन परमार जे.एम.एफ.सी गाडरवारा

// तहसील गोटेगांव //

क्र०	न्यायालय का नाम	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार
1	श्री बॉबी सोनकर जे.एम.एफ.सी गोटेगांव	सुश्री अंकिता श्रीवास्तव जे.एम.एफ.सी नरसिंहपुर	सुश्री परिधि शर्मा, जे.एम.एफ.सी नरसिंहपुर	श्रीमती ऐश्वर्या जैन जे.एम.एफ.सी नरसिंहपुर

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महोदय द्वारा अनुमोदित।

R. Batra 10/06/2024
(प्रसन्ना बत्रा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नरसिंहपुर (म.प्र.)

Principal District & Sessions Judge,

Narsinghpur (M.P.)

पृष्ठांकन क्रमांक 61 / 2024

नरसिंहपुर दिनांक 20.04.2024

प्रतिलिपि-

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. माननीय प्रिंसिपल रजिस्ट्रार महोदय, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय नरसिंहपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय (एट्रोसिटी) नरसिंहपुर।
5. माननीय प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय नरसिंहपुर/गाडरवारा।
6. समर्त न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नरसिंहपुर/गाडरवारा/तेंदूखेड़ा/गोटेगांव की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
7. जिला कलेक्टर नरसिंहपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस अपेक्षा के साथ प्रेषित कि वह जिले के सभी आरक्षी केन्द्रों को कार्य विभाजन पत्रक की प्रति भेजकर सूचित करें।
9. जिला अभियोजन अधिकारी, नरसिंहपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ नरसिंहपुर/गाडरवारा/तेंदूखेड़ा/गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
11. सिरटम ऑफीसर कम्प्यूटर अनुभाग जिला न्यायालय नरसिंहपुर की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त कार्य विभाजन आदेश समर्त न्यायाधीशगण नरसिंहपुर/गाडरवारा/तेंदूखेड़ा/गोटेगांव के ईमेल पर अपलोड किया जावे।
12. केन्द्रीय पंजीयन कार्यालय/पूछताछ कार्यालय, जिला न्यायालय नरसिंहपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

(प्रसन्न सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नरसिंहपुर (म•प्र•)

